सरयू राय
सदस्य
झारखण्ड विधान सभा
सभापति
पर्यावरण एवं प्रदूषण नियंत्रण समिति

सत्यमेव जयते

दूरभाष : 0657–2431255
मोबाईल : 094311–14466
आवास : 42 जे0 रोड, बिष्टुपूर,
जमशेदपूर – 831 001
9, स्टाफ क्वार्टर्स, डोरण्डा,
राँची–834002

पत्रांक.....................

दिनांक 25.08.2008

सेवा में,
अध्यक्ष महोदय,
झारखंड विधान सभा,
राँची ।

विषय : झारखंड विधान सभा में सहायक पद पर हुई नियुक्तियों में अनियमितता और इससे संबंधित सीडी की जांच के संबंध में।

महाशय,

उपयुक्त विषय में मेरे द्वारा उपलब्ध करायी गई सीडी की जांच आपके द्वारा गठित समिति द्वारा हो रही है। समिति के समक्ष मैंने अनियमितता की शिकायत करने वालों के कई पत्रों, जो मुझे भेजे गये थे, कि प्रतियां पूर्व में उपस्थापित की है। सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत संबंधित संचिका की छायाप्रति विधान सभा सचिवालय द्वारा मुझे उपलब्ध कराई गई है। इसके अतिरिक्त श्री आई.सी. जायसवाल, 239, न्यू ए.जी. कॉपरेटिव कॉलोनी, राँची, श्री जीतेन्द्र बहादुर सिंह, 241–डी, न्यू ए.जी. कॉलोनी, राँची तथा श्री नन्दकिशोर सिंह, साउथ चांदमारी रोड, लोहिया नगर, पटना, बिहार को भी विधान सभा सचिवालय द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अधीन कतिपय सूचनायें उपलब्ध करायी गयी हैं। इन चारों सूचनाओं का अध्ययन करने के उपरांत मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि झारखंड विधान सभा द्वारा अलग–अलग लोगों के उपलब्ध कराई गई एक ही आशय की सूचनाओं में काफी भिन्नतायें हैं। साथ ही कई वैसे प्रश्नों का उत्तर–जानकारी नहीं है, बात गलत है–आज जैसे जुमलों के रूप में देकर तथ्यों को छुपाया गया है और जानबूझकर गलत जानकारियां दी गई है। यह जांच का विषय है और ऐसा भ्रामक उत्तर देकर अनियमितताओं को छुपाने की जिम्मेदारी सुनिश्चित किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है। चूंकि सूचनाधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचनायें प्राप्त करने के लिए दिये गये चारो आवेदन और आवेदनकर्ताओं को दी गई सूचनाओं की प्रतियां विधान सभा सचिवालय में उपलब्ध है, इसलिये मैं पत्र के साथ उन्हें संलग्न नहीं कर रहा हूँ। कृपया इन्हें मंगाकर स्वयं देख लेने की कृपा की जाय और तदुपरांत आवश्यक कार्रवाई की जाय।

मुझे प्राप्त सूचनाओं में से केवल एक का उल्लेख यहाँ करना चाहता हूँ। मैंने उत्तर पुस्तिकायें जांचने के लिये नियुक्त परीक्षकों की सूची, उनकी योग्यता और उनकी नियुक्ति का आधार उपलब्ध कराने का निवेदन किया था। मुझे सूची तो उपलब्ध करा दी गई मगर योग्यता के बारे में जानकारी महालेखाकार कार्यालय से लेने हेतु कहा गया। तद्नुसार महालेखा कार्यालय ने मुझे 6 परीक्षकों की योग्यता की जानकारी दी है और तीन के बारे

में कहा है कि इनकी शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण उनके पास उपलब्ध नहीं है। संबंधित पत्र संलग्न है। इसका सरसरी अवलोकन करने पर पता चलता है कि एक परीक्षक की योग्यता आई.ए. है, एक का बी.ए. ऑनर्स है और शेष का सामान्य बी.ए. हैं। जिन तीन परीक्षकों की शैक्षणिक योग्यता महालेखाकार कार्यालय में नहीं है, उनमें से एक श्री जावेद हैदर के बारे में मुझे पक्की जानकारी है कि वे स्नातक से नीचे की योग्यता रखते हैं।

जहाँ तक इन परीक्षकों के विधायी कार्यो का अनुभव की बात है तो इनमें से एक हाल ही में चर्यालिपिक पद से प्रोन्नत हुए हैं, एक पुस्तकालय अनुचर पद से हाल ही में प्रोन्नत हुए हैं, तीन लेखा शाखा में कार्यरत रहे हैं। मालूम होगा कि सहायक परीक्षा में शामिल होने वालों की न्यूनतम योग्यता स्नातक रखी गई थी। यह उल्लेख प्रासंगिक होगा कि झारखंड विधान सभा में करीब एक दर्जन से अधिक अधिकारी स्नातकोतर हैं और ऐसे कई पदाधिकारी हैं, जिन्हें 20 से 30 वर्ष तक विधायी कार्य का अनुभव है। ऐसे उपलब्ध योग्य लोगों को दरकिनार कर कम योग्यता अथवा वांछित योग्यता नहीं रखने वालों को परीक्षक बनाने का क्या कारण है?

महोदय, मैंने सूचनाधिकार के तहत विधान सभा सचिवालय सेप्राप्त करीब चार सौ पन्नों की संचिका का अध्ययन किया है। अन्य तीन आवेदकों को प्राप्त सूचनाओं में व्याप्त विरोधाभासों और भिन्नताओं को भी चिन्हित किया है। इस बारे में अपना मंतव्य मैं इसके बाद प्रेषित करुंगा। फिलहाल इतना ही इस निष्कर्ष पर पहुँचने के लिये पर्याप्त है कि नियुक्ति में अनियमितता सुनियोजित तरीका से की गई है और इन्हें छुपाने का प्रयास भी किया जा रहा है।

अनुरोध है कि उपरवर्णित तथ्यों के आलोक में आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा करेंगे।

सधन्यवाद,

भवदीय

(सरयू राय)

अनुलग्नक :-महालेखाकार कार्यालय का पत्रांक ***Confdl-Cell-RTI 290,*** दिनांक 18.8.08

प्रति : **माननीय सभापति,** सी.डी. जांच समिति, झारखंड विधान सभा ।

(सरयू राय)